तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नेमाराम बनाम मंगलाराम वगैरह मुकदमा नम्बर 112/2018	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
18.03.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रतिवादी ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष उभयपक्षकारान के मध्य वाद संख्या 62/2015 बअनुवान नेमाराम बनाम मंगलाराम विचाराधीन रहा है जिसमें दिनांक 22.08.2016 को एकपक्षीय डिक्री पारित की गई जिसकी अपील संख्या 90/2021 माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के यहां प्रस्तुत की जिसपर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा निर्णय दिनांक 06.07.2021 में अपील स्वीकार करते हुए इस न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.08.2016 को निरस्त कर आदेश दिनांक 22.08.2016 से पूर्व की स्थिति बहाल की जाकर इस न्यायालय को वादपत्र प्रतिप्रेषित करते हुए यह निर्देशित किया है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर जवाब साक्ष्य लेकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे तथा उक्त पूर्ववृति वाद पत्र इस न्यायालय में श्रीमान के समक्ष विचाराधीन है तथा पूर्ववृति वाद संख्या 62/2015 में निर्णय से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकॉर्ड में बहाल करने के आदेश पारित किये गये है इसलिए यह वाद पत्र चलने योग्य नही है। जिसके विरोध में अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि वादी की ओर से स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र पेश किया है तथा वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है। उभयपक्षकारान के निवेदन करने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय दिनांक 06.07.2021 एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 29.09.2022 का अवलोकन किया गया न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय दिनांक 06.07.2021 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.08.2016 को अपास्त किया जाकर दिनांक 22.08.2016 से पूर्व की स्थिति को बहाल किये जाने आदेश पारित किये गये है तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय दिनांक 06.07.2021 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां प्रस्तुत निगरानी संख्या 3120/2021 में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2022 में निगरानी कर्ता वादी नेमाराम की निगरानी को खारिज करते हुए न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय दिनांक 06.07.2021 को यथावत रखा गया है तथा वादीया की ओर से यह हस्तगत वाद पत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पूर्ववर्ति वाद संख्या 62/2015 में वर्णित आराजी को लेकर ही प्रस्तुत किया गया है तथा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 06.07.2021 की पालना में वादग्रस्त भूमि की इस न्यायालय के वाद संख्या 62/2015 में पारित निर्णय से पूर्व की स्थिति बहाल होनी है। उक्त हस्तगत वाद पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्ववृति वाद संख्या 62/2015 विचाराधीन है ऐसी स्थिति में वादी का यह पश्चातवृति वाद पत्र कानूनन रूप से चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर ... कम हो व दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन) Signature Not Verified Digitally signed by Vishwamitra Meena Date: 2024.09.15 15:13:26 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with OKEN Scanner